तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 54 / 2012 अंतर्गत धारा–76 एल.आर.एक्ट

(GCMS No. 2012/00005)

अनवान:

1. श्रीमती मूलीदेवी पत्नी स्व. श्री छतूनाथ जाति नाथ निवासी भाटों का बास बीकानेर जरिये मु.आ. मघाराम पुत्र सीताराम जाति माली निवासी जस्सूसर गेट के बाहर मालियों का मौहल्ला बीकानेर।

बनाम

1. एज्यूकेशन सोसायटी, बीकानेर खातेदारी डॉ. तनवीर मालावत पुत्र श्री रसूल खां जाति मुसलमान निवासी दिनदयाल सर्किल बीकानेर वगैरह।

03.07.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्ट को रेस्पोडेंट सं. 2, 3 के निमित सम्मन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 24.09.2012 से लगातार पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्ट को बार–बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नही किये हैं। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांट को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक तक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये है। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(2) के तहत अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 03.07.2024 को सुनाया गया।

03/7/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर